



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

No. 664]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सं. 17/2017-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 965(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,—

- (i) 22 जुलाई, 2017 से, नियम 24 के उपनियम (4) में, “नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्दों के स्थान पर, “30 सितंबर, 2017 को या उससे पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

**“34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर—(1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी।**

(2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनियम की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय की तारीख को साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अवधारित लागू विनियम दर होगी।”;

(iii) 1 जुलाई, 2017 से नियम 44 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अवधारण पृथकतः किया जाएगा।

(3) जहां स्टॉक में रखे गए इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी घटना के होने की प्रभावी तारीख को मालों की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर उपनियम (1) के अधीन रकम का आकलन करेगा।”;

(iv) नियम 46 के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक पर, यथास्थिति, “निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति” या “निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति का पृष्ठांकन होगा और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट व्यौरों के स्थान पर निम्नलिखित व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता ;

(ii) परिदान का पता ; और

(iii) गंतव्य देश का नाम :”;

(v) 1 जुलाई, 2017 से नियम 61 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 में व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार किया गया है और ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि रिटर्न इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) जहां प्ररूप जीएसटीआर-3 में कोई रिटर्न प्ररूप जीएसटीआर-2 में व्यौरे प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है—

(क) प्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न का भाग-क प्ररूप जीएसटीआर-1, प्ररूप जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के और पूर्ववर्ती कर अवधियों के अन्य दायित्वों के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा तथा उक्त रिटर्न का भाग-ख कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-3 के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर -3 में रिटर्न और प्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न के बीच विसंगतियों, यदि कोई हों, के आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न भाग-ख को उपांतरित करेगा और अपने कर दायित्वों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेगा ;

(ग) जहां प्ररूप जीएसटीआर-3 में कर प्रत्यय की रकम प्ररूप जीएसटीआर-3 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त रकम का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्रत्यय किया जाएगा।”;

(vi) 1 जुलाई, 2017 से नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, “उपधारा” शब्द के स्थान पर, “उपनियम” शब्द रखा जाएगा।

(vii) 1 जुलाई, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (ड) में, “उपधारा” शब्द के स्थान पर, “खंड” शब्द रखा जाएगा।

- (viii) 1 जुलाई, 2017 से प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में क्रम सं. 7 में, सारणी (क) में स्तंभ (2) के शीर्ष के स्थान पर "यथा लागू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा ;
- (ix) 1 जुलाई, 2017 से प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 में क्रम सं. 4 और 5 में, सारणी में स्तंभ (1) में शीर्ष के स्थान पर "यथा लागू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 15/2017-केंद्रीय कर तारीख 1 जुलाई, 2017, जो सा.का.नि. सं. 819(अ) तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

#### No. 17/2017–Central Tax

**G.S.R. 965(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,—

(i) in rule 24, with effect from 22<sup>nd</sup> July, 2017, in sub-rule (4), for the words “within a period of thirty days from the appointed day”, the words and figures “on or before 30<sup>th</sup> September, 2017” shall be substituted;

(ii) for rule 34, the following shall be substituted, namely:—

**“34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value.**—(1) The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be the applicable rate of exchange as notified by the Board under section 14 of the Customs Act, 1962 for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act.

(2) The rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13 of the Act.”;

(iii) in rule 44, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, for sub-rules (2) and (3), the following shall be substituted, namely:—

“(2) The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(3) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, sub-section (5) of section 29.”;

(iv) in rule 46, for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement “SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX” or “SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX”, as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,—

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination.”;

(v) in rule 61, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, specify that return shall be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(6) Where a return in **FORM GSTR-3B** has been furnished, after the due date for furnishing of details in **FORM GSTR-2**—

(a) **Part A** of the return in **FORM GSTR-3** shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1**, **FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax periods and **PART B** of the said return shall be electronically generated on the basis of the return in **FORM GSTR-3B** furnished in respect of the tax period;

(b) the registered person shall modify **Part B** of the return in **FORM GSTR-3** based on the discrepancies, if any, between the return in **FORM GSTR-3B** and the return in **FORM GSTR-3** and discharge his tax and other liabilities, if any;

(c) where the amount of input tax credit in **FORM GSTR-3** exceeds the amount of input tax credit in terms of **FORM GSTR-3B**, the additional amount shall be credited to the electronic credit ledger of the registered person.”;

(vi) in rule 83, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, in sub-rule (3), in the second proviso, for the word “sub-section”, the word “sub-rule” shall be substituted;

(vii) in rule 89, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, in sub-rule (4), in clause (E), for the word “sub-section”, the word “clause” shall be substituted;

- (viii) in **FORM GST TRAN-1**, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, in Sl. No. 7, in Table (a), for the heading of column (2), the heading “HSN as applicable” shall be substituted;
- (ix) in **FORM GST TRAN-2**, with effect from 1<sup>st</sup> July, 2017, in Sl. No. 4 and 5, in the Table, for the heading of column (1), the heading “HSN as applicable” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* G.S.R number 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 15/2017-Central Tax, dated the 1<sup>st</sup> July, 2017, published *vide* G.S.R number 819(E) dated the 1<sup>st</sup> July, 2017.